क मोटर वाहन अत्यधिक धुआं फैलाते हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या इसे रोकने/बंद करने का कोई कानून/प्रावधान/नियम है,

(ग) यदि हां, तो इन कानूनों/नियमों को लागू करने के लिए कौन से प्राधिकारी जिम्मेदार हैं, और

(घ) क्या सरकार इन कानूनों/नियमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विफल होने के कारण उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) दिल्ली की सड़कों पर चलने वाली सभी प्रकार के मोटर वाहन अत्यधिक धुआं छोड़ सकते हैं लेकिन दिल्ली की सड़कों पर चलने वाले सभी मोटर वाहन अत्यधिक धुआं नहीं छोड़ रहे हैं।

(ख) से (घ) केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 की धारा 115 और 116 तथा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 190(2) संगत कानूनी उपबंध है। राज्य पुलिस तथा परिवहन विभाग उक्त उपबंधों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। केन्द्र सरकार ने उक्त कानूनी उपबंधों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निदेश दिए हैं।

बसों को राज्य परिवहन प्राधिकरण के परमिट देना

4569. **श्रीमती सत्या बहिन** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही में कितनी नयी बसों को राज्य परिवहन प्राधिकरण के परमिट जारी किए गए,

(ख) इनमें से कितने परमिट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को जारी किए गए, और

(ग) इन परमिट वाली बसों का सड़कों पर चलना कब तक आरंभ हो जाएगा :

जलभूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) राज्य परिवहन प्राधिकरण ने प्राईवेट आपरेटरों को 125 स्टेज कैरिज परमिट प्रदान किए हैं, जिनमें से 23 परमिट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 3000 स्टेज कैरिज परमिट प्रदान करने की एक योजना को भी कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग) सभी 125 बसें चल रही हैं।

दिल्ली परिवहन निगम के अंतर्गत पुरानी बसें

4570. **मौलाना अब्दुल्ला खान आजमी** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम के अंतर्गत कितनी पुरानी बसें हैं और उनमें से कितनी आठ वर्षों से ज्यादा पुरानी हैं तथा उनका प्रतिशत क्या है,

(ख) क्षेत्र-वार तथा डिपो-वार कितनी पुरानी बसें है और कुल पुरानी बसें में से उनका प्रतिशत क्या है,

(ग) अंतक्षेत्रीय और अंतडिपो प्रतिशतता में असमानता के क्या कारण हैं, और

(घ) इस अंतर को दूर करने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क)